न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2016RAAJu223RTA112 Bhomsingh Vs Laadukanwar

भोमसिंह पुत्र रिडमलसिंह राजपूत
निवासी हतुण्डी,तहसील बावडी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. लाडूकंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत
   निवासी हतुण्डी, तहसील बावडी,
   जिला जोधपुर हाल निवासी केयर ऑफ भेरूसिंह
   ग्राम शिवपुरा तहसील सोजतसिटी, जिला पाली
2. भूमिधारी तहसीलदार बावडी, जिला जोधपुर
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
   हाल एस.बी.आई. बावडी शाखा, बीवडी, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 13 जून 2016 राजस्व वाद संख्या 25/2016 लाडूकंवर व अन्य बनाम भोमसिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री आर.पी. चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अर्जुन बोराणा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2016 लाडुकंवर बनाम भोमसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 13 जून 2018 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 अक्तूबर 2016 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद निम्नलिखित आराजियात के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात वादिनी-रेस्पो. संख्या एक तथा अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक की संयुक्त खातेदारी की

क.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील का नाम	खसरा सं.	र क बा		किस्म आराजी
			बीघा	बिस्वा	
1	हतुण्डी, तह. बावडी	288	17	16	
2	हतुण्डी, तह. बावडी	293	34	19	
3	हतुण्डी, तह. बावडी	425	0	05	
4	हतुण्डी, तह. बावडी	426	0	05	
5	हतुण्डी, तह. बावडी	427	37	06	
	योग		90	11	

अविभाजित कब्जे काश्त की आराजियात है जिनमें दोनों का समान ½-½ हिस्सा है। वादिनी-रेस्पो. संख्या एक अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाना चाहती है, इसलिए अपने हिस्से की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग करवाने के लिए दावा पेश किया है, जो स्वीकार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016" कैम्प हतुण्डी में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित समझते हुए दिनांक 13 जून

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2016 को वाद वादिनी स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी कर दी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट-प्रतिवादी ने आलौच्य अपील अदालत हांजा के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा तत्कालीन क्षेत्राधिकार के आधार पर मूल दावा सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष दावा दिनांक 10 मार्च 2016 को पेश किया गया था, जो दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया,दिनांक 06 अप्रेल 2016 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आयन्दा पेशी दिनांक 12 जुलाई 2016 को वकालतनामा पेश करने बावत अण्डरटेकिंग दी। मगर दिनांक 12 जुलाई 2016 के पूर्व ही आदेशिका दिनांक 03 जून 2016 के अनुसार जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 180 दिनांक 2 जून 2016 के संदर्भ से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बावडी की बताते हुए प्रकरण पंक्षकारान को सूचित किये बिना ही न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा दिनांक 13 जून 2016 को पक्षकारान एवं पक्षकारान के अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल भाग दो में प्रावधान है कि निर्णय आदेशिका में नहीं लिखा जाकर अलग से लिखा जायेगा, जिसमें पक्षकारान के नाम एवं वल्दियत और सकूनत, मामले के तथ्य, जवाबदावा और निर्णय के लिए बिन्दु तथा उन पर न्यायालय का निर्णय होना आवश्यक है, अन्यथा निर्णय विधि अनुसार नहीं माना जावेगा। मगर आलौच्य मामले में इन प्रावधानों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पालना नहीं की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि इसी आराजियात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिडमलसिंह की पुत्रियों की ओर से दायर एक म्युटेशन अपील विचाराधीन थी, जिसको नजरंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दृढतापूर्वक कथन किया कि वांदग्रस्त आराजियात के खातेदार रिडमलसिंह पुत्र हेमसिंह के वारिसान में उनकी पत्नी (फौत) के अलावा दो पुत्र भोमसिंह (अपीलाण्ट) तथा वादिनी-रेस्पो. संख्या एक का पति भेरूसिंह (फौत) एवं छः पुत्रियॉ भंवरकंवर, रूकमणकंवर, चन्द्रकंवर (फौत जिसका पुत्र भवानीसिंह वारिस है), लालूकंवर, धापुकंवर तथा निजुकंवर है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में वादिनी-रेस्पो. एक और प्रतिवादी-अपीलाण्ट का ½ - ½ हिस्सा नहीं अपितु खातेदार रिडमलसिंह की छः पुत्रियों सहित प्रत्येक का ⅛-⅛ हिस्सा बनता है। मगर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने वाद में इन पुत्रियों को पक्षकार ही नहीं बनाया, इस कारण मूल वाद नॉन-जोइण्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण चलने योग्य ही नहीं रहता है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उभयपक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में पारित किये गये है, अतः समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा पूर्व पेशी 06 अप्रेल 2016 को दी गयी अण्डरटेकिंग अनुसार सहायक कलेक्टर ओसिया के समक्ष वकालतनामा लेकर पैरवी हेतु उपस्थित हुए तो वहॉ रीडर ने प्रकरण बावडी भिजवाये जाने बाबत जानकारी दी, तब अधिवक्ता द्वारा राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार" समाप्त होने पर दिनांक 07 सितम्बर 2016 को बावडी आकर अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोई करने पर दिनांक 14 सितम्बर 2016 को पत्रावली पेशी पर आने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली के निरीक्षण से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाबत जानकारी मिली, तब नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया और दिनांक 13 अक्तूबर 2016 को नकले मिलने पर आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील पेश की गयी है, जो जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश कर दी गयी है।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम हतुण्डी तहसील बावडी के खसरा संख्या 288 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 425 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 426 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख 427 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 90 बीघा 11 बिस्वा में वादिनी-रेस्पो. का ½ हक-हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूल दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष पेश किया गया था जो दिनांक 10 मार्च 2016 को संस्थित किया गया एवं प्रतिवादीगण को तलब करते हुए आगे पेशी 06 अप्रेल 2016 मुकर्रर की गयी, दिनांक 06 अप्रेल 2016 की आदेशिका के हाशिए पर प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता की अण्डरटेकिंग के हस्ताक्षर है, जिससे अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन को बल मिलता है कि दिनांक 06 अप्रेल 2016 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आयन्दा पेशी दिनांक 12 जुलाई 2016 को वकालतनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश करने बाबत अण्डरटेकिंग दी। 06 अप्रेल 2016 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण अवकाश अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण पेशी इल्तवा की रबर-स्टाम्प लगा कर आयन्दा तारीख पेशी 12 जुलाई 2016 मुकर्रर की गयी। मगर 12 जुलाई 2016 के पूर्व ही अगली आदेशिका 03 जून 2016 की लिखी हुई है जिसमें "श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 180 दिनांक 02 जून 2016 के द्वारा उपखण्ड बावडी क्षेत्र की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बावडी को स्थानान्तरित की जाती है।" लिखा गया है। उभय पक्षकारान को सूचना देने बाबत कुछ भी अंकित नहीं है। इसके बाद अगली आदेशिका अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13 जून 2016 है। इस प्रकार अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन सही पाया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय राजस्थान रेवेन्यु मेन्युअल भाग दो के प्रावधानों एवं नैसर्गित न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अपील स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजात से पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात के खातेदार रिडमलसिंह के वादिनी-रेस्पो. संख्या एक तथा अपीलाण्ट के अलावा और भी वारिसान है, जिन्हें वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकिं वे भी मूल वाद में अत्यावश्य पक्षकार है।

ग्राम हतुण्डी की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 291 के अभिलिखित खातेदार रेस्पो. संख्या एक वादिनी एवं अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक भोमसिंह ही है परन्तु उनके हिस्से स्पष्टतः अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र विभाजन का दावा करने मात्र से वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व अपीलाण्ट को बंटवाडे के संबंध में कोई अनुतोष नहीं मिल सकता।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहॉ मामला गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति की राह में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये। आलौच्य अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है, अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित विन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जून 2016 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार रिडमलसिंह के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाने की कार्यवाही करने का वादिनी-रेस्पो. को अवसर दिया जावे, तत्पश्चात प्रतिवादीगण से दावा का जवाव लिया जाकर, दावे एवं जवाव के आधार पर तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान को सम्वद्ध तनकियात सावित करने और अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे। फिर प्रस्तुत साक्ष्य सवूत की रोशनी में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में नये सिरे से विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/11/17

(नखतदान वारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर